(To be published in Part I Section 1 of the Gazette of India) Government of India Ministry of Textiles

New Delhi, the \o January, 2017

RESOLUTION

No.6/18/2016-TUFS. The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (**ATUFS**) was notified vide Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016. The Guidelines of ATUFS have been issued vide Resolution No. 6/5/2015 – TUFS dated 29.02.2016. Financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are laid down in the said Guidelines.

- 2. The Ministry notified the Scheme for Production and Employment Linked Support for Garmenting Units (SPELSGU) under ATUFS to incentivise production and employment generation in the garmenting sector vide Resolution of even number dated 25th July, 2016. Under SPELSGU, the additional incentive of 10% will be provided to the garmenting units which would be availing the 15% Capital Investment Subsidy (CIS) under ATUFS for the installation of benchmarked eligible machinery. The cap on capital investment subsidy for the eligible machines in the garmenting units has, therefore, been enhanced from Rs. 30 crore which was the cap under ATUFS, to Rs. 50 crore. This additional subsidy of 10% will be on achievement of the projected production and employment generation, as stated by the unit in the Detailed Project Report (DPR). The SPELSGU has come into effect from 13.01.2016 till 31.03.2019.
- 3. The Government has further approved reforms inter alia to boost Employment Generation and Exports in the Made-Ups Sector to provide production incentive through enhanced TUFS subsidy for made-ups similar to what is provided to garmenting unit based on additional production and employment under SPELSGU. An additional subsidy of 10% will also be provided to the made-ups units enhancing the cap to Rs. 50 crore on the lines of SPELSGU under ATUFS based on achievement of the projected production and employment as given in the Detailed Project Report (DPR). The additional subsidy will be disbursed after a period of three years. This will be based on a verification mechanism linked to production volume, employment and turnover. The Scheme will come into effect from 13.01.2016 till 31.03.2019.

1. OBJECTIVE:

To boost employment generation and exports in the made-ups sector, the Government would provide an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) for made-ups units who have availed 15% CIS benefit under ATUFS based on the achievement of projected production and employment after a period of 3 years. The period of 3 years will be counted from the date of release of ATUFS subsidy to the unit.

2. GENERAL ELIGIBILITY CONDITIONS

The made-ups units who have availed 15% CIS under ATUFS and fulfill the achievement of the production and employment generation after three years period as given below are only eligible for additional 10% CIS under the scheme:

- (i) The production of made-ups made during the last 3 years is equal to or more than the expected production as per DPR and norms under GR (in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:5).
- (ii) The employment generation shall be in accordance with the employment figures given in the DPR subject to the minimum of the industry norm of 60 jobs per one crore rupees of investment (single shift working).

The additional subsidy shall be disbursed only after achieving the above two conditions at the end of the three years period.

3 NORMS FOR ELIGIBLE SUBSIDY

- 3.1 Every eligible made-ups unit which has availed 15% benefit under ATUFS will be paid an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) on the eligible investment upto an additional maximum cap of Rs.20 crores. Thus, the total cap on subsidy for such a unit is enhanced under ATUFS from Rs. 30 crores to Rs. 50 crores (Rs.30 crores for 15% CIS and Rs.20 crores for additional 10% CIS respectively). This additional subsidy will be disbursed after a period of 3 years. This will be based on a verification mechanism linked to production volume, employment and turnover. The parameters for operationalizing the scheme will be as follows:
- 3.1.1 The production of the made-ups unit shall be in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:5. In case of an existing made-ups unit, the production of the unit shall be in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum additional investment to additional turnover ratio of 1:5.
- 3.1.2 The employment generation shall be in accordance with the employment figures given in the DPR subject to a minimum of the industry norm of 60 jobs per one crore rupees of investment.
- 3.2 Under ATUFS, there is a Joint Inspection Team (JIT) mechanism for assessing and certifying the eligibility and eligible subsidy amount. The JIT verifies the machines installed under ATUFS. This mechanism will be utilised to assess the employment and production figures furnished by the units in Format –A.

4. BUDGET ALLOCATION

Funds for meeting additional CIS for made-ups units will be provided for in the ATUFS budget in the respective years.

5. OPERATIONAL PARAMETERS

- 5.1 The applicants will upload the production and employment details along with their claim form and declaration as at Format-A for additional 10% CIS.
- 5.2 The JIT will verify the details and submit report in the format prescribed as at Format-B to the Textile Commissioner through the i-ATUFS software.
- 5.3 After examining the report of JIT, the Textile Commissioner will submit claim through the i-ATUFS software to the Ministry of Textiles for release of eligible subsidy.
- 5.4 All other conditions including the implementation mechanism, the monitoring mechanism, the safeguards against mis-utilisation, the grievance redressal mechanism, the amendment of guidelines etc., continue to remain the same as per guidelines of ATUFS to the extent applicable.

(Pushpa Subrahmanyam)

Additional Secretary to the Government of India

FORMAT - A

CLAIMS FORM FOR ADDITIONAL 10% CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY FOR MADE-UPS

PART-I

1.	TITECD	<u> </u>	NT 1		1.2	-XIV I -I						
1000		eference	Number				<u> </u>					
2.	UID No.											
3			registrat			Plea	se uplo	ad a copy	V			
	registration details with appropriate											
	authorit											
	Copy of	Copy of recent electricity bill						ad a copy	V			
	Date of 1	ast ЛТ с	onducted:	for 15% (CIS							
	Date of	submiss	ion of red	quest by	the	(auto	genera	ated from s	system)		D 85-934	
	TUFS a	pplicant										
			ent gene	rated								
	alter =		J									
	Actual employment generated after completion of this project (Level wise)											
	l 				ľ		Darsons agrared under					
	Managerial		Super	visory work		orkers	ers Total		EPF scheme			
	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Total	
									S			
										-		
						<u> </u>				1		
					as Mus	ster Roll/	Employ	er's Con	tributio	on toward	s EPF	
			to be up	loaded.								
	Actual production made											
		Total After completion of this project										
	No. of pieces Year 1 Year 2 Year 3					Turnover (in Year 1	-	Year 2	TABLES A			
	l Va	ai i	I car 2	I cai 3		i cai i		I cal 2		Year 3		
	Ye											
	Yes											
	Ye	745000 2015										

Certified that:

The information furnished in this format is true and correct and furnished based on the documentary evidences available with the unit, which may be verified by the designated officers at any time.

TO		
-	ace	۰
1 1	acc	

(Signature)

Date:

(Name and designation of the authorised signatory)

Note: Please affix seal/rubber stamp of the Company / Unit along with signature of the authorized signatory.

Fill in all the Items with specific details.

PART-II

Declaration to be furnished by the unit at the time of JIT (On unit's letter head)

1. It is certified that I/Wehas/have been pre-authorised and received 15% CIS under ATUFS for made-ups segment.
2. It is certified that I/Wehas/have also been pre-authorized for an amount of Rs under A-TUFS for 10% additional CIS for made-ups segment.
3. I/We (Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery o any part thereof, for which benefits are being claimed/taken under TUFS, has been funded more than once from this bank and any other banks/Lending Agencies/Financia Institutions. A copy of duly signed certificate (in specified format) is uploaded which will be produced to JIT in original at the time of claiming subsidy.
4. I/ we hereby undertake that in case of any variation / deficiency found in achievement of expected production and employment generation as per DPR/norms under guidelines of the GR, during the verification of the documents, assets of the company/ unit, or at any later stage, the benefits availed under A-TUFS will be returned to bank(s)/ Government with the applicable penal interest from the date of its receipt.
5. I/Weundertake that the unit has been operational for the last three years from to
(Signature) Name and Designation along with Seal

CERTIFICATION BY JOINT INSPECTION TEAM (JIT) ON ACHIEVEMENT OF EXPECTED PRODUCTION, TURNOVER AND EMPLOYMENT GENERATION BY MADE-UPS UNITS INTENDING TO AVAIL ADDITIONAL 10% CIS UNDER ATUFS

- 1. Date of Receipt of Unit's Application in O/oTxC:
- 2. UID No. Allotted by O/oTxC:

~	T .	0	The second secon
3.	1 late	Ot	Inspection:
J.	Date	UI.	mspection.

	5. Date of hispection.							
4	Name & Address of the unit inspected							W
	with pin code							
	Taluka/Tahasil/Mandal:							
	District:							
	State:							
	Pincode:							
	Phone No./Mobile No.							
	Fax No.							
	E-Mail ID							
	Unit PAN No.							345,20
	SSI Reg./EM No. & Date				0			
	Name of Contact Person							
	Contact No.:	**						
	Whether the unit found working on the address mentioned in the UID	Yes	No					
	application.							
	application.							
5.	If not, then actual address of the unit.							
	Taluka/Tehsil/Mandal: District:							
	State:							
	Pincode:							
6.	a)Whether details submitted in	Yes —	No					
8.8	FORMAT-A by the unit and certified		1,0					
	by the bank are found correct or not			_				
	b) If not, please specify							
	c) Whether Declaration in FORMAT	Yes	No		7			
	C1 is obtained from the unit and							
	attached							
7	a)The production and turnover made		Total A	fter comple]
	during the last 3 years	Year 1	lo. of pieces Year 2	Year 3	Year 1	rnover (in F Year 2	Year 3	-
	*							
								_
	Note: The production figures will be	tallied agains	t the fign	res reflec	ted in Sa	les Tax r	ecords/	4_
	excise records/audited annual account					ICO LUXI	0001 015/	
	b) Whether the production made	Yes	No					
	during the last 3 years is equal to or							
	more than the expected production as							
	per DPR and norms under GR (Ratio							
	as per DPR subject to minimum							
	investment to turnover ratio of 1:5)							

	and confirmed evidence	from the doo	cumentary	7							
8.	a) Employment last 3 years	generated du	ring the		*					•	
		Actual em	ployment g	enerated	after compl	etion of th	e project (L	evel wise)			
	Managerial	Superv	visory	wor	kers	Tr	otal	Persons	covered un	der EPF	
	Men Wom		Women	Men	Women	Men	Women	Men Women		Total	
	1 Triest (Total	ion ivien	Wollien	IVIOII	Wollien	IVICII	WOMEN	IVICII	Women	Total	
	Note: The emp							the Emp	loyer's		
	Contribution t	When W. Brad Andrews Branch and		Marian San San San San San San San San San S	tain their	correcti	ness.				
	b) Whether the during the last					No					
	more than the	expected em	ploymen			1.0					
	generation as										
	under GR (as]	Second continued accept a property	0								
	minimum of the industry norm of 60 jobs per one crore rupees of investment) and confirmed that										
	they are cover										
9.	a) The amount under ATUFS	of additional	10% CIS	Rs.							
	b) Whether the	additional 10	% CIS is	1		- 14				************	
	within the CIS				F	No		i			
	(including the availed if any e		10% CIS								
10.	Total cost o										
	considered for	15% CIS unde	er ATUFS	Rs	-	_					
	Machines under ATUFS	installed/com	missioned	Addi	tional 10%	6 CIS					
	(Machine detail	ls to be furnish	hed as per								
	given Annexure	e)	-								
	Whether JIT red of subsidy	commends for	release	Yes/	No						
	If yes, then elig	ible investme	nt	Rs.		_					
	If no, reason the	ereof									
11.	Eligible subsi		under	Rs							

Signature of the Owner/ Authorized person of the Unit with seal

(JIT signatures)

(भारत के राजपत्र के भाग । खंड 1 में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 📢 जनवरी, 2017

संकल्प

सं. 6/18/2016-टीयूएफएस. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) को दिनांक 13.01.2016 के संकल्प सं. 6/5/2015-टीयूएफएस के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। एटीयूएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 29.02.2016 के संकल्प सं. 6/5/2015-टीयूएफएस के माध्यम से जारी किए गए हैं। दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2022 तक इसके क्रियान्वयन की अवधि के दौरान एटीयूएएफएस के वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंड तथा क्रियान्वयन तंत्र उक्त दिशानिर्देशों में दिए गए हैं।

- 2. मंत्रालय ने दिनांक 25 जुलाई, 2016 के समसंख्यक संकल्प के तहत परिधान क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एटीयूएफएस के तहत उत्पादन और रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) अधिसूचित की है। उत्पादन और रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) के तहत उन परिधान इकाइयों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पात्र बेंचमार्क मशीनरी की स्थापना के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने होंगे। इसलिए परिधान इकाइयों में पात्र मशीनों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी की सीमा को 30 करोड़ रुपए जो एटीयूएफएस की सीमा थी, से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 10% की यह अतिरिक्त सब्सिडी, इकाई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में यथा उल्लिखित अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर आधारित होगी। एसपीईएलएसजीयू दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी।
- 3. सरकार ने एसपीईएलएसजीयू के तहत अतिरिक्त उत्पादन और रोजगार के आधार पर जो सब्सिडी परिधान क्षेत्र को प्रदान की है उसी बढ़ी हुई टीयूएफएस सब्सिडी के माध्यम से उत्पादन प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मेड-अप्स क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ाने के लिए और सुधारों का अनुमोदन किया है। मेड-अप्स इकाइयों को 10% की अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी जिससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में दिए गए अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के तहत एसपीईएलएसजीयू के अनुसार अधिकतम सीमा बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो जाएगी। तीन वर्ष के पश्चात अतिरिक्त सब्सिडी संवितरित की जाएगी। यह उत्पादन की मात्रा, रोजगार और कारोबार से जुड़े सत्यापन तंत्र पर आधारित होगा। यह योजना 13.01.2016 से 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी।

1. उद्देश्य:

मेड-अप्स क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन मेड-अप्स इकाइयों के लिए 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान करेगी जिन्होंने 3 वर्ष की अविध के पश्चात अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस लाभ प्राप्त किया है। 3 वर्ष की अविध की गणना उस इकाई के लिए एटीयूएफएस सब्सिडी रिलीज किए जाने की तारीख से की जाएगी।

2. सामान्य पात्रता शर्ते

मेड-अप्स इकाइयां जिन्होंने एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस प्राप्त किए हैं और नीचे दिए अनुसार 3 वर्ष की अविध के पश्चात उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति को पूरी करती हैं, केवल वही योजना के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस हेत् पात्र होंगी।

- (i) पिछले 3 वर्ष के दौरान किया गया मेड-अप्स का उत्पादन डीपीआर और जीआर के अंतर्गत (1:5 के कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन डीपीआर के अनुसार अनुपात) मानकों के अनुसार अनुमानित उत्पादन के बराबर अथवा अधिक है।
- (ii) रोजगार सृजन डीपीआर में दिए गए रोजगार के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक एक करोड़ रुपए के निवेश पर 60 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानदंड के अध्यधीन होगा (एक शिफ्ट में कार्य)।

तीन वर्ष की अवधि के बाद उक्त दोनों शर्तें पूरी होने पर ही अतिरिक्त सब्सिडी संवितरित की जाएगी।

3. पात्र सब्सिडी के मानदंड

- 3.1 प्रत्येक पात्र मेड-अप्स इकाइयां जिन्होंने एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% का लाभ प्राप्त कर लिया है उन्हें 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अधिकतम सीमा तक पात्र निवेश पर 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश सिक्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, एटीयूएफएस के अंतर्गत ऐसी इकाई के लिए सिक्सिडी पर कुल सीमा को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है (15% सीआईएस के लिए 30 करोड़ रुपए और 10% अतिरिक्त सीआईएस के लिए 20 करोड़ रुपए)। यह अतिरिक्त सिक्सिडी 3 वर्ष की अविध के बाद प्रदान की जाएगी। यह उत्पादन की मात्रा, रोजगार और कारोबार से संबद्ध सत्यापन तंत्र पर आधारित होगा। इस योजना को प्रचालनशील बनाने के मानदंड निम्नान्सार होंगे:
- 3.1.1 मेड-अप्स इकाई का उत्पादन 1:5 के कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए अनुपात के अनुसार होगा। मौजूदा मेड-अप्स इकाई के मामले में इकाई का उत्पादन 1:5 के अतिरिक्त कारोबार के लिए न्यूनतम अतिरिक्त निवेश के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए अनुपात के अनुसार होगा।

- 3.1.2 रोजगार का सृजन प्रति करोड़ रुपए के निवेश पर 60 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानक के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए रोजगार आंकड़े के अनुसार होगा।
- 3.2 एटीयूएफएस के अंतर्गत पात्रता और पात्र सब्सिडी राशि का मूल्यांकन और प्रमाणित करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) तंत्र है। जेआईटी, एटीयूएफएस के अंतर्गत स्थापित मशीनों का सत्यापन करता है। इस तंत्र का उपयोग प्रपत्र-क के अंतर्गत इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए गए रोजगार और उत्पादन के आंकड़ों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

4. बजट आंबटन

मेड-अप्स इकाइयों के लिए अतिरिक्त सीआईएस को पूरा करने के लिए संबंधित वर्षों में एटीयूएफएस बजट के लिए निधियां प्रदान की जाएगी।

- प्रचालनात्मक मानदंड
- 5.1 आवेदक अतिरिक्त 10% सीआईएस के लिए प्रपत्र-क के रूप में अपने दावा फार्म और घोषणा सहित उत्पादन और रोजगार के ब्यौरे अपलोड करेंगे।
- 5.2 जेआईटी ब्यौरे का सत्यापन करेगी और आईएटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को प्रपत्र-ख के रूप में निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 5.3 जेआईटी की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात वस्त्र आयुक्त, आईएटीयूएफएस के माध्यम से पात्र सब्सिडी की रिलीज के लिए वस्त्र मंत्रालय को दावा प्रस्तुत करेगा।
- 5.4 क्रियान्वयन तंत्र, मॉनीटरिंग तंत्र, दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र, दिशानिर्देशों में संशोधन आदि सहित अन्य सभी शर्तें एटीयूएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार यथासंभव यथावत रहेंगी।

(पुष्पा सुब्रहमण्यम) अपर सचिव, भारत सरकार

प्रपत्र-क

मेड-अप्स के लिए 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए दावा फार्म

पार्ट-I

1.	टीयूएफएस	संदर्भ संख्य	П										
2.	यूआईडी संर	ज्या और दि	(नांक										
3	इकाई की वं	जपनी के पं	जीकरण का ब्ल	गैरा अथवा	उचित	कृपया	कृपया एक प्रति अपलोड करे						
	प्राधिकार स	हित पंजीक	रण का ब्यौरा										
4	नवीन बिज	नी के बिल	की प्रति			कृपया	एक प्रति	अपलोड करे					
5.	15% सीआई	एस के लिए	र आयोजित पि	छिली जेआः	ईटी की त	ारीख							
6.	टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने तारीख					ति (सिस्ट	म से तैय	ार किया गया)					
7.	सृजित किय	ा गया वास	तविक रोजगा	3									
			इस परियोजन	के पूरा हो	ने के पश्च	ात सृजित कि	यागयाव	स्तविक रोजग	ार (स्तर-	-वार)			
	प्रबंध	पकीय	सुपरव	सुपरवाइजरी का		गमगार	गार कुल		ईपीएफ योजना के अंतर्गत शामिल व्यक्ति				
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	कुल		
						-							
													
	नोटः मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड में नियोक्ता का अंशदान आदि जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए												
8.	किया गया	वास्तविक	उत्पादन										
				इस	परियोजन	ना के पूरा होने	के पश्चात	<u>क</u> ुल					
	संर	<u>ज्या</u>				कारोबार (रुप	र में)						
	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष	द्वितीय वर्ष तृतीय व		प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष				
	नोट: बिक्री चाहिए	कर के वि	कार्ड/उत्पाद शु	ल्क के रिक	गई/लेखा प	ारीक्षित वार्षिक	लेखाओं 3	भादि जैसे सहा	यक दस्त	विज अपलोड वि	केए जाने		

प्रमाणित किया जाता है कि:

इस प्रपत्र में दी गई सूचना सत्य और सही है और इकाई के पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रस्त्त की गई है जिसे किसी भी समय पदनामित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

		_
131		г.
4	101	

(हस्ताक्षर)

दिनांक:

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

नोट : कृपया प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित कंपनी/इकाई की सील/रबर की मुहर लगाएं।

सभी मदों को ब्यौरे सहित भरें।

भाग-11

जेआईटी के समय इकाई द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए (इकाई के पत्र शीर्ष पर)

1.	प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें पूर्व-प्राधिकृति किया गया है और मेड-अप्स क्षेत्र के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस प्राप्त कर लिया है।
2.	प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें मेड-अप्स क्षेत्र के लिए 10% अतिरिक्त सीआईएस के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत रुपए के लिए पूर्व प्राधिकृत किया गया है।
3.	मैं/हम(लाभार्थी इकाई का नाम) एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कोई मशीनरी अथवा उसका कोई पुर्जा जिसके लिए टीयूएफएस के अंतर्गत दावा का लाभ लिया गया/लिया जा रहा है, को इस बैंक और कोई अन्य बैंक/ऋणदाता एजेंसियों/वित्तीय संस्थाओं से एक से अधिक बार वित्त पोषित नहीं किया गया है। विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रपत्र में) की एक प्रति अपलोड कर दी गई है जिसे सब्सिडी का दावा करते समय मूल रूप से जेआईटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
4.	मैं/हम के द्वारा वचन देते हैं कि दस्तावेजों, कंपनी/इकाई की परिसंपत्तियों के सत्यापन के दौरान जीआर के दिशानिर्देशों के अंतर्गत डीपीआर/मानदंडों के अनुसार संभावित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति अथवा बाद में किसी भी समय एटीयूएफएस के अंतर्गत प्राप्त लाभ में यदि कोई अंतर/कमी पायी जाती है तो उसे इसकी प्राप्ति की तारीख से लागू दंड स्वरूप ब्याज सहित बैंक/सरकार को लौटा दी जाएगी।
5.	मैं/हमसेसे तक प्रचालनशील है।
	(हस्ताक्षर)
	मुहर सहित नाम और पदनाम

एटीयूएफएस के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस प्राप्त करने के लिए इच्छुक मेड-अप्स इकाइयों द्वारा संभावित उत्पादन, कारोबार और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा प्रमाणन

- 1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय में इकाई का आवेदन प्राप्त होने की तारीख:
- 2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा आबंटित यूआईडी सं.:
- 3. निरीक्षण की तारीख:

	उ. विरावान का साराखाः					
4	निरीक्षित इकाई का नाम एवं पता					
	पिनकोड सहित					
	तालुका/तहसील /मंडल:					×
	जिला:					α
	राज्य:					
	पिनकोड:					
	फोन सं./मोबाइल सं.					
	फैक्स सं.					
	ई-मेल आईडी					
	इकाई का पैन नं.					
	पंजी. एसएसआई/ईएम नं. एवं तारीख					
	संबंधित व्यक्ति का नाम					
	संपर्क नं.					
	क्या इकाई यूआईडी आवेदन में उल्लिखित	हां		नहीं		
	पते पर कार्यशील पायी गई है		L			
	यदि नहीं तो इकाई का वास्तविक पता	-				
5.	तालुका/तहसील /मंडल:					8
	जिला:					
	राज्य:					
	पिनकोड:					
6.	क)क्या इकाई द्वारा प्रपत्र-क में प्रस्तुत	हां		नहीं		
	तथा बैंक द्वारा प्रमाणित ब्यौरा सही पाया					
	गया है अथवा नहीं					
	ख) यदि नहीं तो कृपया बताएं			-		
	ग) क्या प्रपत्र-ग1 में इकाई से घोषणा	हां		नहीं		
	प्राप्त कर लिया गया है और संलग्न कर					
	दिया गया है					
7	क) पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया		इस	परियोजना के	पुरा	होने के पश्चात कुल
	उत्पादन			<u> </u>	.,	कारोबार (रु. में)

7.)					प्रथम	वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय	
								वर्ष			वर्ष	
								- W				\dashv
											1	
	5953				र के रिक	ार्ड/उत्पाद	शुल्क के रि	कार्ड/लेखा पर्र	ोक्षित वार्षिक	लेखाओं में दिए	ंगए आंक	न्डों
	से उत्पादन उ	Con Color Color Color Color	THE PART OF THE PARTY OF THE PA	L. Control Con	1 2							
	713-000 N.S. E-3- DEC			गया उत्पादन	Call		नहीं	Γ				
	10 7.0			5 के कारोबार								
		5.50		के अध्यधीन								
	(5)			ों के अनुसार 	1							
	3.55			अधिक है और								
8.	दस्तावेजी सा	E			-							
0.	क) पिछले		दारान सृा	जत ।कया								
	गया रोजग	गर										
			इस परियोज	ना के पुरा हो	ने के पश्च	ात सुजित	किया गया	वास्तविक रो	जगार (स्तर-व	ार)		
	प्रबंध	कीय		कीय े		 धकीय		प्रबंधकीय		प्रबंधकीय		
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महित	ग पुरु		ला पुरुष	100		3
	3,,	- nexti	3,,	-HQCH	7.,	-110	34	1 110	74.1	- Tigen	कुल	-
	-											
	-										_	
			, , ,		` ` `			(.)		* * * 0		* `
	- L				क रिकाः	इ/उत्पाद	शुल्क के रिक	गर्ड/लेखा परी	क्षित वाषिक ल	खाओं में दिए	गए आकड़	ड़ी से
	उत्पादन आंव	୍ରୀ କା କାଜା	न किया जाए	9111								
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			न किया गय								
	I NOW AS NEEDED TO AND NO.			र्गत (डीपीआर	0 20300		नहीं	Γ				
				श के प्रति 60)	L				
				के अध्यधीन								
	1		CALC. CA.	गार सृजन के								
	CARRELL TO SECURIT CONTROL	e new land we	और दस्ताव	ाजी साक्ष्य से								
_	अभिपुष्टि की		• •									
9.	1 1000 1100 2000		ातगेत 10%	% अतिरिक्त	रुपए							
	सीआईएस	की राशि							ėt.			
	ख) क्या 1	०% अतिरि	क्त सीआईए	स 20 करोड़								
	रुपए की स	ीआईएस स	ीमा के भी	तर है (प्राप्त	हों		नहीं	Γ				
	किया गया	10% आ	तेरिक्त सी	आईएस यदि	i			L				
	कोई हो, सा			(20)								
10.			र्वात १५०%	सीआईएस					-8			
					Department							
			ग5 पात्र द	मशीनरी की								
	कुल लागत	Γ										
				_								
	एटीयूएफए	स के अ	तर्गत स्थ	गपित/आरंभ	10%	अतिरिक	त सीआई।	एस				

	अनुसार प्रस्तुत की गई मशीन का ब्यौरा)	
	क्या जेआईटी सब्सिडी रिलीज करने की	हां/ नहीं
	सिफारिश करती है	
	यदि हां, पात्र निवेश	रुपए
	यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण	
11.	एटीयूएसफ के अंतर्गत 10% अतिरिक्त	रुपए
	सीआईएस के अंतर्गत पात्र सब्सिडी की राशि	

इकाई के मालिक/ प्राधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर

(जेआईटी के हस्ताक्षर)